

## उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपकम)

## U.P.Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-2992-औस / पाकालि / 2015-11(7)ए०एस०/०६

दिनांक 05 अगस्त, 2015

### कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों/अधिकारियों एवम् उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों तथा पारिवारिक पेंशनरों के भर्ती के दौरान कराये गये उपचार पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों शर्तों एवं कारपोरेशन द्वारा अनुमोदित दरों जो कारपोरेशन के वेबसाइट [www.uppcl.org](http://www.uppcl.org)-Personnel पर उल्लब्ध है, के अधीन कारपोरेशन के आदेश संख्या-4452-औस-17/पाकालि/2009, दिनांक 09.12.2002 सप्तित आदेश संख्या-3593-औस-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.2003 में निहित प्राविधानों/मानकों के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (वितरण), वाराणसी क्षेत्र, पूर्वाञ्चल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी के पत्र सं०-882/मु०अ०वा०क्षे०/कार्मिक, दि० 20.06.2015, पत्र सं०-789/मु०अ०वा०क्षे०/कार्मिक, दि० 20.06.2015 एवं पत्र संख्या-1102/मु०अ०वा०क्षे०/कार्मिक, दि० 29.07.2015 के साथ संलग्न निरीक्षण आख्या एवं संस्तुतियों के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित अस्पतालों को कारपोरेशन द्वारा निर्धारित सी०जी०एच०एस० मानक दरों पर एतद्वारा दिनांक 30.06.2016 तक के लिए कारपोरेशन की मान्यता प्रदान की जाती है :-

- 1- लक्ष्मी मेडिकल एण्ड सर्जिकल केयर सेण्टर प्रा०लि०, एस-17/329, मलदहिया कैन्ट, वाराणसी-फोन नं०-0542-2200501।
- 2- एस०पी० सर्जिकल सेण्टर, 2/3 मृत्युञ्जय धाम कालोनी सिकरौल, जे०पी० मेहता इण्डर कालेज के पास, वाराणसी-फोन नं०-0542-2283431, मो०-8726030334/7523884933।
- 3- जमुना सेवा सदन एण्ड रिसर्च सेण्टर एस-15/47, पंचकोसी रोड (शिवपुर थाने के पीछे), शिवपुर, वाराणसी मो०-9415204376।

उपर्युक्त चिकित्सालयों में भर्ती के दौरान हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति पूर्ववर्ती परिषद के आदेश संख्या-2088- एन०जी०-2/एस०ई०बी०(चार)२९-एन०जी०-2/७८, दिनांक 24.05.78 में निहित प्राविधानों एवं शर्तों के अधीन अनुमन्य होगी।

- 1- अस्पताल को विभाग द्वारा अनुमोदित दरों के अतिरिक्त अन्य कोई चार्ज देय न होगें। किसी भी प्रकार का परामर्श शुल्क देय न होगा।
- 2- चिकित्सालय को अपने परिसर में एक साइन बोर्ड लगाना होगा जो यह दर्शायेगा कि "उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा दिनांक 31.03.2016 तक के लिए मान्यता प्राप्त चिकित्सालय"।
- 3- चिकित्सालय को उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड का एक रजिस्टर अलग से रखना होगा और हर 15 दिनों में अस्पताल को निम्नलिखित सूचना कारपोरेशन के वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी, शक्ति भवन को भेजनी होगी :-(
  - (क) रोगी का नाम/पदनाम/वेतनमान/नियुक्ति स्थान/आयु एवं लिंग।
  - (ख) पूर्णतः आश्रित होने की दशा में रोगी का कार्मिक से सम्बन्ध।
  - (ग) अस्पताल में भर्ती होने एवं डिस्चार्ज होने की तिथि।
  - (घ) कार्मिक का वेतनमान।
  - (ङ) रोग का नाम (डाइग्नॉसिस)।
  - (च) कुल चार्ज की गयी धनराशि।

No/

....2...

- 4— कारपोरेशन को यह वचन पत्र देना होगा कि वह कारपोरेशन की बेब साइट [www.uppcl.org/](http://www.uppcl.org/) Medical पर दर्शायी गयी दरों पर उपचार करने हेतु सहमत है।
- 5— यदि अस्पताल द्वारा अनिवार्य रूप से भोजन दिया जाता है तो अस्पताल के बीजकों में भोजन की मद हेतु ₹0 50/- प्रतिदिन की कटौती कर ली जाएगी।
- 6— निर्धारित/अनुमोदित दरों से विचलित होने पर सम्बन्धित चिकित्सालय की मान्यता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

### निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)

संख्या:-2992-(1) औस/पाकालि/2015-तददिनांक:-

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्नलिखित को प्रेषित :-

- 1— अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 2— प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
- 3— निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4— निदेशक (का0प्र0) ट्रांसको, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5— प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केस्को, कानपुर।
- 6— अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 7— मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8— समस्त मुख्य अभियन्ता वितरण, को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 9— महाप्रबन्धक (औ0सं0)/उप महाप्रबन्धक (औ0सं0)/समस्त वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10— समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन)/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11— समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव-प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12— ✓ अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं-407, शक्ति भवन को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया उक्त कार्यालय ज्ञाप को कारपोरेशन की वेबसाइट [www.uppcl.org-Medical](http://www.uppcl.org-Medical) पर अपलोड करने हेतु।
- 13— सलाहकार (चिकित्सा), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 14— प्रबन्धक, सम्बन्धित चिकित्सालय।
- 15— मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वाराणसी।
- 16— सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 17— कट फाइल।

*Not Mather 5.8.15*  
 (नवनीत माथुर)  
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी